



सभी पेंशनभोगी स्टाफ के लिए सूचना

विषय : बैंक ऑफ़ बड़ौदा पेंशनभोगी स्टाफ से आयकर गणना हेतु निवेश की घोषणा.

सरकार द्वारा आरंभ किए गए कर संशोधनों को ध्यान में रखते हुए कर विकल्प के चयन और निवेश घोषणा प्रस्तुत करने में कुछ परिवर्तन किए गए हैं. पूर्व-कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से निवेश घोषणा ऑनलाइन प्रस्तुत करने का विकल्प पेश किया गया है. पेंशनभोगियों को मौजूदा कर व्यवस्था 2020 या नई कर व्यवस्था 2020 चुनने के लिए अपने विकल्प का चयन करना होगा.

कृपया नोट करें कि एक बार विकल्प का चयन करने के बाद, जिन्होंने मौजूदा कर व्यवस्था को चुना है, उन्हें निवेश घोषणा प्रस्तुत करनी होगी.

कर व्यवस्था के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश पूर्व-कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं.

कृपया ध्यान दें, पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प का चयन करने के बाद इसे टीडीएस गणना के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं बदला जा सकता. यदि किसी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि मौजूदा कर व्यवस्था जारी है.

पेंशनभोगी पूर्व-कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से स्वयं निवेश की घोषणा ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और उक्त के आधार पर आयकर की गणना प्रधान कार्यालय, बड़ौदा में केंद्रीकृत रूप से की जाएगी.

यूआरएल:https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empModule/Login.aspx को कंप्यूटर/ और ऐन्ड्रॉइड/ आईओएस स्मार्ट फोन से इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है. शाखाओं को पेट्रोल मॉड्यूल में कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है.

पोर्टल 25 तारीख तक विकल्प चुनने और प्रत्येक माह की घोषणा प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध होगा. 25 तारीख के बाद पूर्व कर्मचारी पोर्टल में निवेश मेनू को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इसे अगले महीने की 02 तारीख को उपलब्ध कराया जाएगा. महीने के लिए पोर्टल में की गई घोषणा के आधार पर टीडीएस काटने हेतु आयकर देयता की गणना की जाएगी. तदनुसार, टीडीएस कटौती के लिए आयकर देयता की गणना की जाएगी.

तथापि, पेंशनभोगियों को जनवरी माह में पोर्टल में घोषित निवेश के साक्ष्य को पेंशन भुगतानकर्ता शाखा में प्रस्तुत करना होगा. यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो की गई घोषणा को इग्नोर कर दिया जाएगा और संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन पर टीडीएस की गणना की जाएगी और जनवरी से मार्च तक देय पेंशन पर इसकी कटौती की जाएगी.


शाखाओं को निम्नलिखित कार्यबिंदु सुनिश्चित करना चाहिए :

1. अपनी पेंशन बचत बैंक खातों में पैन अद्यतन करना.

Handwritten signature/initials

2. 25 जनवरी से पहले पेंशन भुगतान शाखा को आपके द्वारा किए गए निवेश विवरण का प्रमाण प्रस्तुत करें.
3. शाखाओं के यूनिट पेरोल सुपरवाइजर को पूर्व कर्मचारी पोर्टल पर पेंशनर द्वारा प्रस्तुत निवेश प्रमाण को प्राधिकृत करना चाहिए.


हम पेंशनभोगियों से अनुरोध करते हैं कि वे समय पर निवेश की घोषणा और विवरण प्रस्तुत करने के लिए साथी पेंशनभोगियों की सहायता करें.



(सी. मालोलन)

प्रमुख - मासं-परिचालन

प्रधान कार्यालय, बड़ौदा


01-06-2020.

